रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272823
CG-DL-E-23052026-272823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948
No. 357]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 398(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, *2025* (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ङ) तथा धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ— (1) इन नियमों विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति नियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से "विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण): वीबी जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025" अभिप्रेत है;

(ख) "राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ङ) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. समिति का गठन — (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (जिसे इसके पश्चात् "समिति" कहा गया है) के रूप में जाना जाएगा।

(2) समिति, राज्यों को मानक आबंटन से संबंधित निर्णयों की सिफारिश करेगी और अभिसरण रूपरेखा सहित अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता वाले मामलों पर परामर्श देगी और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च-स्तरीय निगरानी प्रदान करेगी।

4. समिति की संरचना— (1) राष्ट्रीय संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(2) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, समिति के अध्यक्ष होंगे;

(3) सदस्य—

(क) ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव;

(ख) ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय सलाहकार;

(ग) प्रधान सलाहकार या सलाहकार (ग्रामीण विकास) – नीति आयोग;

(घ) निम्नलिखित प्रत्येक मंत्रालय या विभाग द्वारा न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित एक-एक प्रतिनिधि, नामतः:—

(i) पंचायती राज मंत्रालय — सदस्य;

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य;

(iii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग— सदस्य;

(iv) पेयजल और स्वच्छता विभाग — सदस्य;

(v) कृषि और किसान कल्याण विभाग — सदस्य;

(vi) भूमि संसाधन विभाग — सदस्य;

(vii) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) (ग्रामीण विकास विभाग के कार्य से संबंधित) — सदस्य;

(ड़) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नामित राज्य सरकारों के पाँच प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकार के न्यूनतम सचिव स्तर के अधिकारी होंगे— सदस्य।

(च) अध्यक्ष, समिति के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने पर किसी अन्य सदस्य को सह-अभिग्रहीत कर सकता/सकती है।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय के न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी योजना के प्रभारी अधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

(5) समिति, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों पर उप-समितियाँ या कार्य-समूह गठित कर सकती है;

5. नामांकन और प्रतिस्थापन की शक्ति— (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले पदों या मंत्रालयों या विभागों में वृद्धि कर सकती है, उनका लोप कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक या समीचीन है; और ऐसे किसी संशोधन के लिए इन नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई रिक्ति या अस्थायी अनुपस्थिति है;

(ख) किसी मंत्रालय या विभाग के पदनाम या नामकरण में कोई परिवर्तन हुआ है।

(3) यदि इस नियम के प्रावधानों की व्याख्या के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो उस पर केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

6. सदस्यों की पदावधि— समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव पदेन होंगे, और इन नियमों में किसी पद के प्रति कोई निर्देश उस पद को तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वित किया जाएगा।

7. समिति की बैठकें—(1) समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर भी अतिरिक्त बैठक आयोजित की जा सकती है;

(2) अध्यक्ष किसी भी समय समिति की विशेष बैठकें बुला सकता/सकती है;

(3) समिति की मुख्य सिफारिशों को ऐसे रूप में प्रलेखित और प्रकट किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के कार्य—(1) समिति राज्यों को मानक आबंटन से संबंधित निर्णयों की सिफारिश करेगी;

(2) समिति अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता वाले मामलों पर, जिनमें अभिसरण पहल और ढांचे भी शामिल हैं, नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी;

(3) समिति इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक निगरानी प्रदान करेगी;

(4) समिति राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और सुधारात्मक या सहायक उपायों की सिफारिश करेगी;

(5) समिति इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी अभिसरण और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाएगी;

(6) समिति इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानकों, दिशा-निर्देशों, निगरानी प्रणालियों, डिजिटल और भू-स्थानिक सार्वजनिक अवसंरचना पर परामर्श देगी; और

(7) समिति ऐसे अन्य कार्य करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 398(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (e) of sub-section (2) of section 33 and sub-section (2) of section 14 of the *Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–GRAMG (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025* (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) National Level Steering Committee Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB- G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025";

(b) "National Level Steering Committee" means the committee constituted under sub-section (1) of section 14, by the Central Government;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the National Level Steering Committee;

(d) “Member” means a member of the Committee and includes the Chairperson;

(e) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. Constitution of the Committee.— (1) The Central Government shall, by notification, in the Official Gazette, constitute a committee to be known as the National Level Steering Committee (NLSC) (hereinafter referred to as “the Committee”) for the purposes of these rules.

(2) The Committee shall recommend decisions relating to normative allocations to States and to advise on matters requiring inter-ministerial consultation, including the convergence framework and to provide high-level oversight for the effective implementation of this Act.

4. Composition of Committee.— (1) The National Steering Committee shall comprise the following:—

(2)The Secretary, Department of Rural Development, Government of India, shall be the Chairperson of the Committee;

(3) Members—

(a) Additional Secretary, Department of Rural Development;

(b) Financial Advisor, Department of Rural Development;

(c) Principal Advisor or Advisor (Rural Development) – NITI Aayog;

(d) One representative not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, nominated by each of the following Ministries or Departments, namely:—

(i) Ministry of Panchayati Raj — Member;

(ii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member;

(iii) Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation— Member;

(iv) Department of Drinking Water and Sanitation — Member;

(v) Department of Agriculture and Farmers Welfare — Member;

(vi) Department of Land Resources — Member;

(vii) National Informatics Centre (handling Department of Rural Development) — Member;

(e) Five representatives of the State Governments, not below the rank of Secretary to the respective State Government, to be nominated, in such manner as may be specified by the Central Government — Members.

(f) The Chairperson may co-opt any other member as may be considered necessary for the effective discharge of the functions of the Committee.

(4) The officer in charge of the Scheme, not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Rural Development, shall be the Member-Secretary of the Committee.

(5) The Committee may constitute sub-committees or working groups on specific thematic areas to assist in discharging its functions with the prior approval of the Chairperson;

5. Power of nomination and substitution.— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, add to, omit, substitute, or otherwise alter

the offices or Ministries or Departments represented in the Committee, if it is satisfied that such modification is necessary or expedient for carrying out the purposes of these rules; and any such modification shall not be deemed to require any amendment of these rules.

(2) No act or proceeding of the Committee shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy or temporary absence of the Chairperson or any Member;

(b) any change in the designation or nomenclature of a Ministry or Department.

(3) If any doubt arises as to the interpretation of the provisions of this rule, the decision of the Central Government thereon shall be final.

6. Tenure of Members.— The Chairperson, Members and Member-Secretary of the Committee shall be ex officio, and any reference to an office in these rules shall be construed as a reference to the person for the time being holding that office.

7. Meetings of the Committee.—(1) The Committee shall meet at least twice in a year and may hold additional meetings, as and when required, to be convened at the discretion of the Chairperson;

(2) The Chairperson may, convene special meetings of the Committee at any time;

(3) The key recommendations of the Committee shall be documented and disclosed in such manner as specified by the Central Government.

8. Functions of the National Level Steering Committee.—(1) The Committee shall recommend decisions relating to normative allocations to States;

(2) The Committee shall recommend policy measures on matters requiring inter-ministerial consultation, including convergence initiatives and frameworks;

(3) The Committee shall provide high-level strategic oversight for the effective implementation of this Act;

(4) The Committee shall review the performance of the States and recommend corrective or supportive measures;

(5) The Committee shall facilitate coordination among the Ministries and Departments of the Central Government, and between the Central Government and State Governments, for effective convergence and implementation of the provisions of this Act;

(6) The Committee shall advise on standards, guidelines, monitoring systems, digital and geospatial public infrastructure necessary for implementation of the provisions of this Act; and

(7) The Committee shall perform such other functions as may be assigned to it by the Central Government.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.23 11:19:52 +05'30'